संख्या-834/2018/1476/22-2-2018-17(440)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 01 नवम्बर, 2018**

विषय आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छुनान सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30369/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02-05-2017) दिनांक-27-08-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 27-08-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी छुनान सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह, निवासी ग्राम-सुधरदेवा, थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर हालपता ग्राम-पड़रिया, थाना-अजगैन, जिला-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी को ससुराल में खेती योग्य जमीन मिली थी। वादिनी निर्मला देवी ससुराल पक्ष से रिश्तेदार को अच्छा नहीं लगा। इसी रंजिश में वादिनी के पुत्र विक्रम सिंह की दिनांक 31-10-2001 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे एवं लाठी से वारकर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-**30**/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 09.06.2003 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया है। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2015 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-02-2017 तक 15 वर्ष, 01 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **उन्नाव** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 31-10-2001 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे एवं लाठी से विक्रम सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने**,** भविष्य में अपराध करने का अवसर होने**,** अशक्त न होने**,** जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने**,** पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने**,** इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक**,** जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं **जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता**,** जघन्यता**,** समिति/ जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छुनान सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी छुनान सिंह (बन्दी संख्या-15542) पुत्र श्री शिवपाल सिंह, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति, सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-834/2018/1476(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-834/2018/1476/22-2-2018-17(440)/2017

दिनांक 01 नवम्बर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छुनान सिंह (बन्दी संख्या-15542) पुत्र श्री शिवपाल सिंह, निवासी ग्राम-सुधरदेवा, थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर नगर हालपता ग्राम-पड़रिया, थाना-अजगैन, जिला-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी को ससुराल में खेती योग्य जमीन मिली थी। वादिनी निर्मला देवी ससुराल पक्ष से रिश्तेदार को अच्छा नहीं लगा। इसी रंजिश में वादिनी के पुत्र विक्रम सिंह की दिनांक 31-10-2001 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे एवं लाठी से वारकर हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-**30**/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 09.06.2003 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया है। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2015 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-02-2017 तक 15 वर्ष, 01 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **उन्नाव** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन की रंजिश में दिनांक 31-10-2001 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे एवं लाठी से विक्रम सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने**,** भविष्य में अपराध करने का अवसर होने**,** अशक्त न होने**,** जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने**,** पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने**,** इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक**,** जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं **जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता**,** जघन्यता**,** समिति/ जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छुनान सिंह पुत्र श्री शिवपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in